फर्द–अहकाम

नियम –26

प्रकरण संख्या– 13/2024 (13/2024)

मोहन पुत्र किशना बनाम सूरता देवी

किस्म मुकदमा–88, 188, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज
13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुतीकरण पर दावे की ग्राहिता व अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा पर वादीगण अभिभाषक को सुना गया। दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकतरफा बहस करते हुए वादी अभिभाषक द्वारा अप्रार्थीगण 02 लगायत 06 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा अप्रार्थी संख्या 07 को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करने तथा अप्रार्थी संख्या 08 को वादग्रस्त आराजी के हस्तानान्तरण/रहन आदि सम्बन्धी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को पंजीकरण नहीं करेन हेतु पावन्द करने को निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने वाद मय प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर कथन किये कि भूमि आराजी खाता संख्या 1060 ग्राम बान्दनवाड़ा में दर्ज वर्तमान ख0न0 2827 रकबा 0.49, ख0न0 2834 रकबा 0.18, ख0न0 2839 रकबा 0.12, ख0न0 2842 रकबा 0.15, ख0न0 2843 रकबा 0.09, ख0न0 2857 रकबा 0.31, ख0न0 3337 रकबा 0.10 तथा 3338 रकबा 0.32 के साबिक खसरा नम्बर श्री राम पुत्र सदा जाति भील के नाम था। उक्त श्रीराम ने सम्पूर्ण आराजी को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.09.1974 को प्रार्थीगण के दादा/पिता किशना पुत्र हरलाल जाति खटीक को वेचान कर दी थी विक्रय की दिनांक से विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण के पिता/दादा व उनके स्वर्गवास के पश्चात् से प्रार्थीगण काविज चले आ रहे है। प्रार्थीगण के कब्जे की जानकारी के बावजूद अप्रार्थी संख्या 02 से 05 के पिता देवकरण पिता जयराम ने विभिन्न विक्रय पत्रों दिनांक 21.07.2016 व 07.10.2016 से अप्रार्थीगण संख्या 01 को जरिये रजिस्ट्रर विक्रय पत्र बेचान कर दिया। अब अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजी के बैचान, हस्तान्तरण, रहन की आमादा हो रहे है, तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा पहचाने का प्रयास कर रहे है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के स्थान पर प्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने, रहन, हस्तानान्तरण नहीं करने हेतु पावन्द किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। दावे के साथ संलग्न राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2076 ग्रम बान्दनवाड़ा के ख0न0 2827 रकबा 0.49, ख0न0 2834 रकबा 0.18, ख0न0 2839 रकबा 0.12, ख0न0 2842 रकबा 0.15, ख0न0 2843 रकबा 0.09, ख0न0 2857 रकबा 0.31, ख0न0 3337 रकबा 0.10 तथा 3338 रकबा 0.32 कुल किता 08 कुल रकबा 1.76 में सुरता देवी पत्नी बंटीलाल जाति भील साकिन प्रतापपुरा दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी तथा दावे के अवलोकन से स्पष्ट है कि रिकॉर्डेड खातेदार तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 भील जाति के होने से अनुसुचित जनजाति वर्ग के सदस्य है। दावे के साथ संलग्न पंजीबद्ध विकयपत्र दिनांक 24.09.1974 में भी वादीगण के पूर्वज किशन पुत्र हरलाल जाति खटीक ने प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पूर्वज श्री राम पुत्र सदा जाति भील से विवादित आराजीयात कय की है। अनुसुचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसुचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को कृषि भूमि का बैचान स्पष्ट रूप से काश्त कारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघन है। अतः काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार वादीगण को विवादित आराजीयात पर दावा विधि संगत प्रतीत नहीं होता हे। दावे की विषयवस्तु में ये भी उल्लेख नही है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत वादीगण की किस प्रावधान के तहत राहत दी जा सकती है। किसी भी प्रचलित राजस्व कानून के तहत वादीगण, गैर अनुसुचित जाति वर्ग से संबंधित होने के कारण अनुसुचित जनजाति वर्ग की कृषि भूमि पर खातेदारी उद्घोषणा जारी करवाने अथवा खातेदारी को निषधाज्ञा से पावन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद प्रथम दृष्टियां विधि विरूद्ध होने के आधार पर सुनवाई हेतु ग्राह्य नही है। अतः आदेश 2 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकडी)